IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0 एफ.4(34)विज्ञापन नीति/विधि/पंरा/2016/891 जयपुर, दिनांक 14.12.2016

..... परिपत्र .....

विषयः– राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु विज्ञापन नीति निर्धारित किये जाने बाबत ।

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं यथा: ज़िला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न कारणों से समय–समय पर विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित किये जाने का कार्य किया जाता है । इन संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों के लिए वर्तमान में किसी प्रकार की नीति निर्धारित नहीं है । इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका (पी0आई0एल0) स0 9602/2016 सुधीर शारदा बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 4.10.2016 को आदेश पारित कर, निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं के लिए, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गए मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, एक विज्ञापन नीति तैयार करे।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य की समस्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रकाशित/प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों के लिए निम्नानुसार विज्ञापन नीति निर्धारित की जाती है:–

1. राज्य की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विज्ञापन जारी किये जाने हेतु राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञापन नीति–2001 तथा परिपत्र दिनांक 11.2.2016 में अर्न्तनिहित प्रावधानों की पालना की जानी होगी ।
2. विज्ञापन भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Common Cause V/s Union of India में गठित समिति के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए ही जारी किये जायेंगे । नीलामी, सामग्री का उपापन एवं निविदायें आदि जारी किये जाने वाले प्रकरणों में विज्ञापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत जारी किये जायेंगे ।

3. किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा विज्ञापन केवल केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं एवं जन कल्याण कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु ही जारी किये जा सकेंगे ।
4. पंचायती राज संस्थाएँ स्वयं के द्वारा किये गए विकास कार्यों की उपलब्धियों के प्रचार हेतु भी विज्ञापन जारी कर सकती है ।
5. पंचायती राज संस्था द्वारा विज्ञापन उन्हीं परिस्थितियों में जारी किया जायेगा जबकि उस संस्था के स्वयं की निजी आय सुदृढ़ हो एवं विज्ञापन के पेटे होने वाले व्यय को वहन करने की स्थिति में हो । योजना विशेष के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रचार–प्रसार हेतु राशि का प्रावधान उपलब्ध हो तो उन परिस्थितियों में जारी किये जाने वाले विज्ञापन का भुगतान योजना विशेष में प्रचार–प्रसार के मद में उपलब्ध राशि में से ही किया जायेगा ।
6. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किसी भी परिस्थिति में त्यौहारों के अवसर पर बधाई संदेश, नेताओं के आगमन पर स्वागत संदेश अथवा जन्म दिवस आदि की बधाईयों इत्यादि संबंधित विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाये जायेंगे एवं विज्ञापन राजनैतिक लाभ हेतु जारी नहीं किया जायेगा ।
7. विज्ञापन उन्हीं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सकेगा जिसका प्रसार (Circulation) उस पंचायती राज संस्था के क्षेत्र में आवश्यक रूप से हो ।

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना।
8. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, विभाग ।
9. सम्भागीय आयुक्त, समस्त ।
9. जिला कलेक्टर, समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
12. समस्त अनुभाग, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
13. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव(विधि)